<u>केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि</u>

3/यो0-26/2017(खंड) 01

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 18.4.18

विषय:- **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रू.142100.00/- लाख (रू. एक हजार चार सौ एक्कीस करोड), राज्यांश राशि रू. 70928.26/- लाख (रू. सात सौ नौ करोड अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार) एवं राज्य स्कीम में रू. 71680.00/- लाख (रू. सात सौ सोलह करोड अस्सी लाख) यानी कुल रू. 284708.26/- लाख (रू. दो हजार आठ सौ सैतालीस करोड आठ लाख छब्बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0- 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना, छत्र योजना-एक के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वितीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश की राशि रू. 14,21,00/- लाख (रू. एक हजार चार सौ एक्कीस करोड़), राज्य अंशदान (Top Up) की राशि रू. 7,09,28.26/- लाख (रू. सात सौ नौ करोड अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार) एवं अन्य राज्य स्कीम में रू. 7,16,80/- लाख (रू. सात सौ सोलह करोड अस्सी लाख) यानी **कुल रू. 28,47,08.26/- लाख (रू. दो हजार आठ सौ सैतालीस करोड आठ लाख छब्बीस हजार) मात्र** के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रू. लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	PFMS Code	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि				
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010201)	3163	73500.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890201)	3163	28916.09
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960203)	3163	7296.95
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010203)	3167	18500.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890202)	3167	6500.00
3	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	(51-2235031020203)	3166	7386.96
	योग:-1 **(रू. एक हजार चार सौ एक्कीस करोड़)**			142100.00

-2-

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्य अंशदान				
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010301)	3163	45969.78
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890301)	3163	19058.48
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960303)	3163	500.00
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010303)	3167	4000.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890302)	3167	1400.00
	योग:-2 (रू. सात सौ नौ करोड अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार)			70928.26
राज्य स्कीम				
6	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020105)		19600.00
	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890102)		7400.00
7	बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020104)		23600.00
	बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना -विशेष घटक	(51-2235607890103)		10000.00
8	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020101)		2000.00
	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890104)		1000.00
9	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना - सामान्य घटक	(51-2235022000103)		3230.00
	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना - विशेष घटक	(51-2235027890104)		1600.00
10	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	(51-2235022000105)		500.00
11	बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना	(51-2235021040106)		1700.00
12	बिहार शताब्दी एड्स पीडित कल्याण योजना	(51-2210061010113)		1000.00
13	मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	(51-2235021010121)		50.00
	योग:-3 (रू. सात सौ सोलह करोड अस्सी लाख)			71680.00
	कुल (योग 1+2+3) :- (रू. दो हजार आठ सौ सैतालीस करोड आठ लाख छब्बीस हजार)			284708.26

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 05/टि0 पर दिनांक 17/04/2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड के टिप्पणी पृष्ट संख्या 06/टि0 पर दिनांक 18/04/2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो0-26/2017(खंड) 01 दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0-26/2017(खंड) 01 दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।